न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांकः— 02.03.2016

मु0न0 14/2016

पीठासीन अधिकारीः— दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. सीओ साहब पुत्र मोहरसिंह
2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
3. भीम पुत्र मोहरसिंह
4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह
   समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कलुवा
2. नरसी पुत्र कलुवा
3. हरकेश पुत्र कलुवा
4. श्रीमति हंसो पत्नि स्व0 कलुवा
5. समयकौर पत्नि राजेन्द्र सिंह
   समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।
6. उप पंजीयक बालघाट
7. तहसीलदार टोडाभीम

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः— श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण
श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी न0 2 ता 5

एवं

मु0न0 4/17

तारीख रजूः— 10.1.2017

उनवान

1. समय कौर पत्नि स्व. शहीद राजेन्द्र सिंह जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम

वादीया

बनाम

1. सीओ साहब पुत्र मोहरसिंह
2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
3. भीम पुत्र मोहरसिंह
4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह
   समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रति वादीगण

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा बावत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री रामभरोसी गुप्ता वादीगण

2. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिवादी न0 1 ता 4

दिनांकः— 28.8.2019

निर्णय

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है, दोनो प्रकरणो की विषय वस्तु एक समान होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

मु0न0 14/16

यह है कि आराजीयात ख0न0 42/0.35, 43/0.24 कुल किता 2 कुल रकवा 0.59 है0 ग्राम तिधरिया मे स्थित है। वादीगण बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 बहिस्सा 1/2, के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 व उनके लडके आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात को हडपना चाहते है। अपने हिस्से की भूमि को मेहनत कर समतल बनाकर उसमे एक पानी की ट्यूब वैल कराकर सिचाई का साधन कर कृषि योग्य बनाया है प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि मे सिचाई का साधन नही है। प्रतिवादीगण काफी समय से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है बॉका दिनांक 25.6.15 को प्रतिवादीगण हाथो मे लाठी, डण्डा लेकर खातेदारी भूमि 42, 43 पर आ गये और प्रार्थी न0 1 पर घातक हथियारो से हमला कर दिया जिससे गंभीर चोटे आई, जिसका इस्तगासा थाना बालघाट मे दर्ज कराया गया है। दिनांक 16.7.15 को पंच पटैलो ने राजीनामा करा दिया तथा तय हुआ कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करेगे तो प्रार्थीयो को ही करेगे। पुनः दिनांक 28.2.16 को प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर आये और जमीन पर कब्जा करने एवं फसल काटने की कहने लगे तथा कहा कि हमने प्रतिवादीगण 1 ता 4 से जमीन खरीद ली है। तथा कब्जा करेगे। इस कारण से यहदावा पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर कर अर्ज है। कि आराजी ख0न0 42, 43 स्थित ग्राम तिधरिया मे हिस्सा 1/2 वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री फरमाकर बाद प्राप्ति बटवारा स्कीम अलग—अलग खाता कायम कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम कर फाईनल डिक्री फरमाया जावे। वादीगण के बौर पर कब्जा न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण न0 6,7 के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 2 ता 5 की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जबाब पेश किया कि दावा जिस प्रकार तहरीर किया है इस प्रकार स्वीकार नही है। आराजी ख0न0 42/0.35, 43/0.24 मे [illegible] शहीद राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है। [illegible] पूर्व खातेदार राजेन्द्र, नरसी, प्रेम, हरकेश पि0 कलुवा, [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.2.16 को खरीद की है। जिसकी राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हो गयी है। इस भूमि मे हिस्सा 1/2 मे [illegible] वादी न0 5 समय कौर ने अलग से स्टाम्प ड्यूटी देकर खरीद किया है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने हिस्सा 1/2—1/2 पर काबिज है सहूलियत से बटवारा कर रखा है। वादीगण ने गलत तथ्यो से दावा पेश किया है। कोई विनायदावा नही हुआ है। अतः यह दावा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मु0न0 4/17

यह है कि आराजी ख0न0 42/0.35, 43/0.24 है0 ग्राम तिघरिया मे वादी हिस्सा 1/2 की तथा प्रतिवादी न0 1 ता 4 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि मे हिस्सा 1/2 पूर्व खातेदार राजेन्द्र, नरसी, प्रेम, हरकेश पि0 कलुवा, द्रोपती पुत्री कलुवा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.2.16 को खरीद की है। जिसकी राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हो गयी है। इस भूमि मे हिस्सा 1/2 मे बौरिंग है जिसको भी अलग से स्टाम्प ड्यूटी देकर खरीद किया है। मौके पर भूमि का विभाजन हो रहा है। हिस्सानुसार काबिज है। प्रतिवादीगण चालाक व बेईमानी किस्म के व्यक्ति है आये दिन झगडा फसाद कर रहे है। बाका दिनांक 7.1.17 को प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने आकर धमकी दी कि तुम्हारा इस जमीन की बौरिंग मे कोई हिस्सा नही है। इस कारण यह दावा पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः दावा वादीनी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 4 बाबत तकास्मा आराजी ख0न0 42/0.35, 43/0.24 ग्राम तिघरिया हिस्सा 1/2 भूमि का अलग खाता कायम किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि बादीनी के हिस्से की भूमि मे कब्जे काश्त मे रूकावट न करे तथा बोरिंग मे उपयोग, उपभाग मे रूकावट पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होन से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की और से दरखास्त आर्डर 9 रूल्स 7 सी. पी.सी. की पेश की गई। बाद सुनवाई इनके विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई। इनकी और से जबाब पेश किया कि वादीगण को प्रतिवादीगण ने दिनांक 7.1.17 को किसी भी प्रकार का कोई कब्जा करने की धमकी नही दी। वादीगण का आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। ना ही रहा है। वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादीगण के भाई बन्ध, राजेन्द्र, नरसी, हरकेश, हंसो ने काफी समय पूर्व हमे बेच दी थी। तब से हमारा ही कब्जा है। किन्तु खातेदारी पूर्व से ही अपने हिस्से की भूमि मे बौरिंग करवा रखी है। जिससे वादीया का कोई संबध नही है। अतः वादीया का दावा खारिज फरमाया जावे।

दोनो प्रकरण मे समान ख0न0 समान रिलीफ एवं समान पक्षकार होने से हमफिता होकर एक साथ सुनवाई की जा रही है। दोनो प्रकरण तकास्मा प्रकृति के होने तथा वादी/प्रतिवादी के समान खातेदारी अधिकार होने से वकील उभपक्ष ने विधिवत तकास्मा कराने वास्ते प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम तलब फरमाकर फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावलीयो को अवलोकन किया। पक्षकार 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। दोनो प्रकरणो को एक साथ प्राथमिक डिक्री कर नायब तहसीलदार बालघाट को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम तिधरिया की भूमि ख0न0 42/0.35, 43/0.24 मे मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा कब्जाअनुसार बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया।

नायब तहसीलदार बालघाट की पद ... तहसीलदार टोडाभीम द्वारा बटवारा स्कीम प्रस्तुत ... बटवारा स्कीम का अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दोनो दावे फाईनल डिक्री किये जाने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए बटवारा स्कीम एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावे फाईनल डिक्री किए जाने योग्य पाता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अतः सीओसाहब, नरेश, भीम, पि0 मोहरसिंह, रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह जाति गूर्जर को ग्राम तिधरिया की आराजी ख0न0 42 रकवा 0.18 है0, 43 रकवा 43/1 रकवा 0.12 है0 का एवं समयकौर पत्नि स्व0 राजेन्द्र सिंह जाति गूर्जर को ख0न0 42/1 रकवा 0.17, ख0न0 43 रकवा 0.12है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमो मे शामिल की जावे। नक्शा ट्रेस की प्रति सलग्न रहेगी, डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांकः— 28.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/8/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner